

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

~~अरशीदेवी~~ पति सोनाराम

~~हेमराज वी. श्याम जति~~
~~कृष्ण मिश्रा कुशरोली दूगे~~
~~के लकी~~

बनाम

~~जति - कृष्ण मिश्रा~~
~~कुशरोली के लकी~~

मुकदमा संख्या 87 / 2023

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हूए
---------------	--	--

05-06-2023

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री पाशुपत बेनीवाल अन्तर्गत धारा 11, 128 राजस्थान क्र- 21/1999 अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/ विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 11.7.2023 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

11.7.23

पाशुपत बेनीवाल
वकील श्री
विप्रार्थीगण के तलबी हेतु पत्र रजिस्ट्री जारि
के पत्र रजिस्ट्री पत्र के लो नोटिस के
द्वारा पत्र 43 चलाया है।
विप्रार्थीगण का हेतु 10-8-23 को पत्र है।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

10-8-23

पाशुपत बेनीवाल
वकील श्री
विप्रार्थीगण अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है।
पत्र के लो नोटिस के द्वारा पत्र 43 चलाया है।
विप्रार्थीगण का हेतु 12-9-23 को पत्र है।





9.12.24

पत्रावली काफ़ी देर हुई। 9वीं मं. प्राची उपरो
 पत्रावली का अकलोकन किया गया। पत्रावली
 पर प्राची द्वारा तहसीलदार से सीमाकारण
 की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे
 स्पष्ट है कि प्राची द्वारा सीमाकारण हेतु
 तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं
 किया है। अतः उक्त प्रकारण सीमाकारण
 रिपोर्ट के अभाव में कार्रवाई किया जा रहा है।
 पत्रावली प्रथम सुनार होकर दफ़्तर
 काफ़ी लंबे समय से

निदेशित किया गया है।
 हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज